

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्राप्ति-ना पत्र संख्या 117/2020

प्राप्ति

अप्राप्ति

बनारस माली 100-सुर्त नाम 551 न-2-3

किस्म मुकदमा- अन्तर्गत धारा 131,136 एल.आर.एक्ट 1956

तारीख हुक्म

हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में
जारी हुए

21/11/2020

तहसीलदार लूणी से प्राप्त मू.अ.निरीक्षक आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत अन्तर्गामी में मौजूद खसरो को राजस्व नकशों में दर्ज कराने से वन-ए-वन विभाग के मध्यनजर जिन खसरो में रेकार्ड मजबूत व नकशों में भिन्नता आ रही है तथा किराई सरकारी खसरो में से कई खसरो को भी में से, मुन्हाडा एवं अन्य किराये के छोटे-छोटे खसरो के खसरो आउटलेट किये गये जिनका नामान्तरण पूर्ण कर नजरी नकशा आउटलेट व आवंटन सम्बन्धी दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध नहीं है जिनकी विस्तृत स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः ऐसे खसरो को मूल खसरो में एकीकरण के प्रस्ताव हलका

पत्रावली खसरो की प्रतिक्रिया अनुसंधान मू.अ.निरीक्षक

माफिया एवं तहसीलदार लूणी से प्राप्त हुये जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान मू.राजस्व अधिनियम की धारा अन्तर्गत 131,136 के तहत मूल प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को माफिक प्राप्त मूल प्रस्ताव अनुसार (DILRMP) के तहत में एकीकरण कर रेकार्ड दुरुस्ती करे। पत्रावली फॉर्मल रूप में दाखल दफ्तर दायित्व है।


सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी